न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 558/14 निर्णय दिंनाक 22.05.2017

1. नंदलाल पुत्र पांचूलाल जाति नायक निवासी झालरी तहसील कनवास।

बनाम

1. सुन्दरबाई बेवा पांचूलाल जाति नायक निवासी झालरी तहसील कनवास।
2. मोहनलाल पुत्र पांचूलाल जाति नायक निवासी ग्राम झालरी तहसील कनवास।
3. हुकमचंद पुत्र श्री रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
4. रामसिंह पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
5. लाडबाई पुत्री श्री रामकरण पत्नि देवीसिंह जाति नायक निवासी लोको कोलोनी कोटा।
6. कंवरीबाई बेवा श्री रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद।

उपस्थित :-

वादी स्वंय

प्रतिवादी क्रम 06 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि माल ग्राम झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 161 की रकबा 0.54 है0,, खसरा नंबर 162 की 0.01 है0, खसरा नंबर 163 की 0.30 है0, खसरा नंबर 164 की 0.54 है0, खसरा नंबर 165 की 0.60 है0, कुल खसरा किता 05 की रकबा 1.99 हे0, स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

यह कि वाद पत्र पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजी स्वर्गीय खातेदार पांचूलाल पुत्र बालकराम जाति नायक के कब्जे काश्त की रही है। वाद पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजी माफी चौकीदारी की आराजीयात रही है।

यह कि वाद पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजी खातेदार पांचूलाल पुत्र बालकराम को ग्राम झालरी में चौकीदारी का कार्य करने के एवज में माफी चौकीदारी की आराजी सरकार द्वारा दी गई थी। उक्त आराजी पर बहेसियत माफीदार पांचूलाल पुत्र बालकराम अपने जीवन काल में अपनी माफी की आराजी को काबिल काश्त कर उपयोग उपभोग करता रहा है।

यह कि वाद पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजी माफी चौकीदारी की आराजी थी। सन 1963 में सम्पूर्ण राजस्थान में माफी की भूमियों को रिज्यूम कर खाते से माफी शब्द हटाकर कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। यह कि जागीर अधिग्रहण कानून की धारा 09 के तहत जिस दिन जागीर या माफीदारी की भूमियों का अधिग्रहण हुआ उस दिन यदि कोई कृषक का माफीदार उक्त भूमियों पर खुद काश्त करता था तो ऐसी भूमियों को खुद काश्त के कृषक को जागीर अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार आदेशित हो जावेंगें। यह कि उपरोक्त वाद ग्रस्त आराजी खातेदार पांचूलाल नायक की खुदकाश्त की आराजी रही है जिस पर पांचूलाल नायक जब तक जीवित रहा तब तक काबिज काश्त होकर वादग्रस्त आराजीयात को बहेसियत खातेदार उपयोग उपभोग करता रहा है। उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी गण 01 लगायत 06 बहेसियत खातेदार कृषक आराजीयात को काबिल काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अभी वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 के वादग्रस्त आराजी को अपने हिस्से व हक अनुसार काबिल काश्त कर रहे हैं।

यह कि उपरोक्त वाद ग्रस्त आराजी में राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी के कालम नंबर 04 में काश्तकार के नाम पिता का नाम निवास स्थान का पता में वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 के साथ कॉलम नंबर 04 में माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारी लिखा हुआ है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को राजकार्य में काफी दिक्कतें आती है एवं अपनी आराजीयात के विकास के लिए बैंक व अन्य वित्तिय संस्था से ऋण प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वह जमाबंदी राजस्व रेकार्ड के कॉलम 04 में अंकित माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारी शब्द को हटाने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी की होने की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के लिए सम्माननीय न्यायालय में वादी के लिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माल ग्राम झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 161 की रकबा 0.54 है0,, खसरा नंबर 162 की 0.01 है0, खसरा नंबर 163 की 0.30 है0, खसरा नंबर 164 की 0.54 है0, खसरा नंबर 165 की 0.60 है0, कुल खसरा किता 05 की रकबा 1.99 हे0,आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के कॉलम नंबर 04 में अंकित माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारीा शब्द हटाने की घोषणा की जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की घोषणा की डिक्री प्रदान की जाने एवं तद्नुसार खाते से माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारी हटाकर दुरस्त किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत में प्रस्तुत हुई प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 एवं 06 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रतिवादी क्रम 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित तथा प्रतिवादी क्रम 07 राजस्थान सरकार की ओर से जवाब दावा दिंनाक 22.05.2017 को प्रस्तुत निवेदन किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान में जागीरदारी उन्मूल्न अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटाकर सेवादारों को खुद काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं।रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ति नंही है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेंजो का अवलोकन किया गया अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जातें हैं कि माल ग्राम झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 161 की रकबा 0.54 है0,, खसरा नंबर 162 की 0.01 है0, खसरा नंबर 163 की 0.30 है0, खसरा नंबर 164 की 0.54 है0, खसरा नंबर 165 की 0.60 है0, कुल खसरा किता 05 की रकबा 1.99 हे0,आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के कॉलम नंबर 04 में अंकित माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारीा शब्द को हटाया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 को खातेदार कृषक घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

22-05-2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास

1. नंदलाल पुत्र पांचूलाल जाति नायक निवासी झालरी तहसील कनवास।

बनाम

1.सुन्दरबाई बेवा पांचूलाल जाति नायक निवासी झालरी तहसील कनवास।

2.मोहनलाल पुत्र पांचूलाल जाति नायक निवासी ग्राम झालरी तहसील कनवास।

3.हुकमचंद पुत्र श्री रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।

4.रामसिंह पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।

5.लाडबाई पुत्री श्री रामकरण पत्नि देवीसिंह जाति नायक निवासी लोको कोलोनी कोटा।

6.कंवरीबाई बेवा श्री रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।

7.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद।

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 558/14 सन 2014 निर्णय दिंनाक 22.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है माल ग्राम झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 161 की रकबा 0.54 है0,, खसरा नंबर 162 की 0.01 है0, खसरा नंबर 163 की 0.30 है0, खसरा नंबर 164 की 0.54 है0, खसरा नंबर 165 की 0.60 है0, कुल खसरा किता 05 की रकबा 1.99 हे0,आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के कॉलम नंबर 04 में अंकित माफी रिज्यूमशुद्वा चौकीदारीा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

शब्द को हटाया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 को खातेदार कृषक घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/05/2017 को जारी की गई।

मोहर .....

(प्रमोद कुमार, आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			गीजान		
गीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार, आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास